107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 850–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 99/10–11/निगरानी.

अली हुसैन पुत्र श्री सलीम जाति मुसलमान
निवास ग्राम बगवाज श्योपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा –
कलेक्टर, जिला श्योपुर
2– इब्राहिम पुत्र श्री हुसैन
3– सत्तार पुत्र श्री अब्दुल करीम
निवासी ग्राम बगवाज जिला श्योपुर म0प्र0 ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वी.पी.एस. तोमर.
अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव गौतम.
अनावेदक क्रमांक – 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी.
अनावेदक क्रमांक – 3 की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 99/2010–11/निग0 में पारित आदेश दिनांक 27–4–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार वृत्त 2 श्योपुर द्वारा दिनांक

15-9-2005 को आवेदक को ग्राम रामपुरा डांग स्थित भूमि खसरा नं. 24, 25, 26 एवं 27 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, अनावेदक क्रमांक 2 इब्राहिम को भूमि सर्वे नं. 32, 33, 34, 35 एवं 38 कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 5 विस्वा तथा अनावेदक क्रमांक 3 सत्तार को भूमि सर्वे नं. 6, 7 एवं 8 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 विस्वा का वंटन किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश को कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण पाते हुए प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर पंजीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 9-12-10 द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक को आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क हेतु समय चाहा गया था, जिस पर से उन्हें न्यायहित में 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है ।

6/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में पैरा-2 में उल्लिखित ग्राम रामपुर डांग की प्रश्नाधीन भूमियों का वंटन तहसीलदार, वृत्त 2 श्योपुर द्वारा दिनांक 15-9-2005 को आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 को किया गया है । तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर द्वारा 5 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिये जाने की कार्यवाही

प्रारंभ की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस 5 वर्ष की अवधि को आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

7– प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है तहसीलदार द्वारा भूमि का व्यवस्थापन करने के उपरांत आवेदक/अनावेदकों द्वारा कब्जा लेने के बाद उन्होंने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुए कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि को 13 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत

प्रतिपादित किया गया है कि " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । " इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तथा कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-4-11 निरस्त किया जाता है साथ ही कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा तहसीलदार, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-09-05 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार, श्योपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर